न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 20 / 2018
गोविन्द पुत्र फुलचन्द उर्फ फुलाराम जाति सैनी निवासी जीवावाली ढाणी तन बुडाना तहसील व जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार महोदय झुंझुनूं जिला झुंझुनूं।
2. नायब तहसीलदार झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्टस

––

अपील बखिलाफ आदेश तहसीलदार झुंझुनूं दिनांक 18.08.2017 बाबत ख.नं. 177, 178 ग्राम जीवा वाली ढाणी

––

उपस्थित
1. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से

आदेश

दिनांक 22.02.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 18.08.2017 नामान्तरकरण संख्या ... वाके ग्राम जीवा वाली ढाणी के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. के प्रस्तुत की गई है। संक्षेप तथ्य अपील इस प्रकार है कि अदालत मातहत ने दिनांक 18.08.2017 को भूमि ख0न0 177,178 वाके ग्राम ... से अपीलार्थी को बेदखल किया उक्त आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली है। उक्त भूमि ख.न. ... दिनांक 04.03.2008 को क्रमाक प. 2:3राज / 08 / 1424 / 29 के द्वारा अलाट की गयी थी जिसके विरूद्व अपीलार्थी ने राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुझनू में समक्ष उक्त अलाटमेंट को निरस्त करवाने की अपील प्रस्तुत कर रखी थी। जिसमें दिनांक 24.03.2008 की अपीलार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी हुआ। जो स्थगन आदेश आज दिनांक तक प्रभावी है। उक्त स्थगन आदेश में अपीलार्थी का ठिकाना ... से कब्जा मानते स्थगन आदेश जारी किया। उक्त स्थगन आदेश विस्तृति आदेश है। उक्त स्थगन आदेश रहते हुये अपीलार्थी को दिनांक 18.08.2017 के आदेश से बेदखल नहीं किया जा सकता है। लोकायुक्त में सत्यनारायण ने झुठे तथ्यो के आधार पर व तथ्यो को छुपाते हुये शिकायत की लोकायुक्त ने उक्त प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी मांगी जिसका गलत अर्थ निकालते हुये अदालत मातहत ने अपीलार्थी को भूमि से बेदखल करने व दिनांक 18.08.2017 का आदेश पारित किया है। लोकायुक्त के सामने जब अपीलार्थी द्वारा सही तथ्य प्रस्तुत किये गये तब लोकायुक्त महोदय ने भी अदालत मातहत के खिलाफ सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। अदालत मातहत ने दिनांक 18.08.2017 की कार्यवाही क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर की है। लोकायुक्त महोदय ने अपने पत्र क्रमांक 11(578)LAS / 2017 / 33302 दिनांक 28.11.2017 में निर्देश दिया है कि उक्त प्रकरण में मामला न्यायालय के समक्ष लम्बित था। उक्त न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही अपीलार्थी को करनी चाहिये। उक्त आदेश अस्तित्व में रहने से

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अपीलार्थी के प्रकरण में विपरीत असर पड़ता है उक्त आदेश शुन्य आदेश की तारीफ में आता हैं। शून्य आदेश के लिये कोई मियाद कानून में नहीं है। इसलिये अपील अन्दर मियाद है। लोकायुक्त के रिमाण्डर के पश्चात तहसीलदार महोदय को उक्त आदेश वापस लेना चाहिये ऐसा नहीं करने पर अपलार्थी को अपील करना आवश्यक हुआ। उक्त भूमि ख.न. 177,178 गत ख.नं. के मुताबिक 894/5 व 894/8 से बने है जो सम्वत 2008 जयपुर स्टेट की गिरदावरी में अपीलार्थी के पूर्वजो के नाम दर्ज है। जिसके अपीलार्थी के पूर्वज खातेदार काश्तकार रहे है उक्त भूमि से अपीलार्थी को समरी कार्यवाही से बेदखल नहीं किया जा सकता है। उक्त आदेश दिनांक 18.08.2017 का है, लोकायुक्त महोदय ने दिनांक 28.11.2017 को पत्र प्रेषित किया है। अपीलार्थी ने तहसीलदार के समक्ष दिनांक 18.08.2017 का आदेश निरस्त करने के लिये निवेदन किया तहसीलदार द्वारा दिनांक 02.02.2018 को मना करने पर अपील करना आवश्यक हुआ। दिनांक 02.02.2018 से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अदालत मातहत का आदेश कानून की मंशा के विपरीत है न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 18.08.2017 निरस्त किये जाने का आदेश फरमावा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावृत्ति की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि लोकायुक्त महोदय ने दिनांक 28.11.2017 को पत्र प्रेषित किया है। अपीलार्थी ने तहसीलदार के समक्ष दिनांक 18.08.2017 का आदेश निरस्त करने के लिये निवेदन किया तहसीलदार द्वारा दिनांक 02.02.2018 को मना करने पर दिनांक 02.02.2018 से अपील अन्दर मियाद है। उक्त भूमि ख.न. 177,178 दिनांक 04.03.2008 को क्रमाक प. 2:3राज/ 08/1424/29 के द्वारा अलाट की गई थी जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुझुनू में समक्ष उक्त अलाटमेंट को निरस्त करवाने की अपील प्रस्तुत कर रखी थी जिसमें दिनांक 24.03.2008 को अपीलार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी हुआ जो स्थगन आदेश आज दिनांक तक प्रभावी है। उक्त स्थगन आदेश में अपीलार्थी का लम्बे समय से कब्जा मानते स्थगन आदेश जारी किया। उक्त स्थगन आदेश विस्तृति आदेश है। स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुये अपीलार्थी को बेदखल कर दिया। कैम्प के दौरान उक्त विवादित आराजी खेल मैदान के नाम आवंटित कर दी थी। कुछ जमीन मुझे मिली व कुछ जमीन राजकीय दर्ज हुई। शिकायतकर्ता ने सत्यनारायण ने झुठे तथ्यो के आधार पर व तथ्यो को छुपाते हुये शिकायत की लोकायुक्त ने उक्त प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी मांगी जिसका गलत अर्थ निकालते हुये अदालत मातहत ने अपीलार्थी को मौके से बेदखल करने व दिनांक 18.08.2017 का आदेश पारित किया है। लोकायुक्त के सामने जब अपीलार्थी द्वारा सही तथ्य प्रस्तुत किये गये तब लोकायुक्त महोदय ने भी अदालत मातहत के खिलाफ सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। लोकायुक्त के रिमाण्डर के पश्चात तहसीलदार महोदय को उक्त आदेश वापस लेना चाहिये था। उक्त भूमि ख.न. 177,178 गत ख.नं. के मुताबिक 894/5 व 894/8 से बने है जो सम्वत 2008 जयपुर स्टेट की गिरदावरी में अपीलार्थी के पूर्वजो के नाम दर्ज है। जिसके अपीलार्थी के पूर्वज खातेदार काश्तकार रहे है उक्त भूमि से अपीलार्थी को समरी कार्यवाही से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अदालत मातहत का आदेश कानून की मंशा के विपरीत है न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 18.08.2017 निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने वकील अपीलान्ट के तर्कों का विरोध कर कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है वह फर्द मौका है। उक्त आदेश के द्वारा मौके से अपीलार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही की गई है। जिससे यह तथ्य साफ है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.08.2017 की जानकारी प्रारम्भ से थी। अपीलार्थी की अपील मियाद बाहर है। साथ ही अदालत मातहत ने अपीलार्थी द्वारा रा.उ.मा.वि. जीवा वाली ढाणी के खेल मैदान पर किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही हैं। अपीलार्थी का खेल मैदान पर किया गया कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। जिसका उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। मौके पर से दिनांक 18.08.2017 को कब्जा हटा दिया गया है। अपीलार्थी ने निराधार तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

जिला कलेक्टर झुंझुनूं

A4/3

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से निम्न तथ्य उजागर हुये है यथा :–

अदालत मातहत ने दिनांक 18.08.2017 को जीवा वाली ढाणी स्थित भूमि खसरा नम्बर 177, 178 से अपीलार्थी द्वारा किये गये कब्जे को हटाने की कार्यवाही की है। जिससे यह सिद्ध है कि अपीलार्थी को उक्त कार्यवाही की जानकारी प्रारम्भ से रही है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण तकनीकि बिन्दु के बजाय गुणावगुण तथा पक्षकारों की पूर्ण सुनवाई के बाद किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद मानते हुये की गई देरी को कन्डोन किया जाता है।

अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह रहा है कि उक्त विवादित आराजी ग्राम जीवा वाली ढाणी स्थित भूमि खसरा नम्बर 177, 178 सम्वत 2008 जयपुर स्टेट की गिरदावरी में अपीलार्थी के पूर्वजो के नाम दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में उक्त भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक शाला जीवा वाली ढाणी की खातेदारी में तथा किस्म गैर मुमकीन खेल मेदान के रूप में दर्ज रिकार्ड है। अदालत मातहत द्वारा लोकायुक्त कार्यालय के पत्रांक 36978/2017 की पालना में मौके से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की है। अपीलार्थी का वर्तमान में उक्त विवादित आराजी पर टाईटल या हक का प्रमाण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलार्थी का यह तर्क स्वीकार है कि विवादित आराजी की बाबत विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन चल रहे है किन्तु अदालत मातहत द्वारा वर्तमान रिकार्ड के आधार पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।

प्रकरण में अपीलार्थी ने अदालत मातहत द्वारा मौके से अतिक्रमण हटाये जाने की फर्द के विरूद्ध कोई न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। मौका फर्द रिकार्ड या रजिस्टर में अंकन नहीं होता है। मौका फर्द किसी आदेश की पालना में मौके पर की गई कार्यवाही के विवरण हेतु बनाई जाती है, जो बाद कार्यवाही के संबंधित को मूल ही प्रेषित कर दी जाती है।यही कारण है कि अदालत मातहत से मूल रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18.08.2017 को विवादित आराजी से अतिक्रमण हटाये जाने की मौका फर्द तैयार की है, चुंकि मौके से अतिक्रमण हटा दिया गया है तो उसके विरुद्ध अपील सारहीन रह जाती है।

उक्त समस्त तथ्यों के मध्य नजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अदालत मातहत को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/02/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं